



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 ई०

चैत्र 06, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या 150/XXXi(15)G/2026/8(8)/2010

देहरादून, 27 मार्च, 2026

अधिसूचना

प0आ0-13

राज्यपाल, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम सं० 5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते हैं, जिसमें दिनांक 01 फरवरी, 2026 को आरम्भ होने वाली और दिनांक 31 जनवरी, 2031 को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत खुले क्षेत्र में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है।

क्षेत्र का विवरणअनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	खतौनी खाता सं०	खसरा नं०	अर्जित किये जाने वाला लगभग क्षेत्रफल (हे०) में
चमोली	कर्णप्रयाग	रावलनगर तल्ला	34	161	0.120
			34	162	0.033
			34	163	0.036
			34	164	0.008
			34	165	0.016
			34	166	0.008
			34	167	0.008
			34	168	0.013
			34	169	0.033
			34	170	0.053
			34	171	0.019
			34	172	0.005
			34	173	0.015
			34	174	0.011
			34	175	0.008
			06	176	0.020
			34	177	0.033
			41	179	0.153
			योग	18	0.592 हेक्टेयर

प्रयोजन :- 1. ग्राम रावलनगर तल्ला, तहसील- कर्णप्रयाग, जिला चमोली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के फायरिंग रेन्ज के गोला चलाने और तोप दागने के अभ्यास हेतु।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साइट प्लान) कलेक्टर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, चमोली के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.150/XXXi(15)G/2024/8(8)/2010, dated March 27, 2026 for general information.

No. 150/XXXi(15)G/2024/8(8)/2010

Dated Dehradun, March 27, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Manoeuvres Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act No. 5 of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the Schedule below as the area within which for a period of five years commencing on the first day of February, 2026 and ending with the thirty-first day of January, 2031 carrying out, periodically of field firing and artillery practice may be authorized.

Details of the area
Schedule

District	Tehsil	Village	Khatuni No.	Khasra No.	Approximate Area to be acquired (In Hec.)
Chamoli	Karanprayag	Rawalnagar Talla	34	161	0.120
			34	162	0.033
			34	163	0.036
			34	164	0.008
			34	165	0.016
			34	166	0.008
			34	167	0.008
			34	168	0.013
			34	169	0.033
			34	170	0.053
			34	171	0.019
			34	172	0.005
			34	173	0.015
			34	174	0.011
			34	175	0.008
			06	176	0.020
			34	177	0.033
			41	179	0.153
			Total	18	0.592 Hectare

Purpose- It is required for Field Firing and artillery practice of Indian Tibet Border Police, Village Rawalnagar Talla, Tehsil- Karanprayag, District Chamoli.

Note.- A site plan of the said land may be inspected by the interested person in the office of the District Magistrate/Special Land Acquisition Officer, Chamoli.

By Order,

VINOD KUMAR SUMAN,
Secretary.